विभिन्न राज्यों में बिक्री कर और चुंगी शुल्क की समान दरें

2621. श्री हर गोविन्द वर्मा : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्त देश में समान कराधान प्रणाली आरम्भ करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को यह अधिकार देते समय सरकार उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगी कि बिक्री कर और चुंगी शुल्क की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न न हों, और

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) संविधान राज्यों को अपनी राजकोषीय अधिकार सीमा में आने वाले क्षेत्र में कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है । प्रत्येक राज्य, राज्य की अर्थ व्यवस्था के स्वरूप, राजस्व की आवश्यकताओं और अन्य संगत पहलुओं के आधार पर कराधान पद्धति, कराधान कार्य विधियों और करों की दरों को अपनाता है । अतएव निकट भविष्य में राज्यों की कराधान पद्धति में सम्पूर्ण एकरूपता प्राप्त करना कठिन हो सकता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट की गई संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अधिकार प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता । तथापि, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के अन्तर्गत विशेष महत्व की वस्तुओं के रूप में घोषित करता है और कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्त निर्दिष्ट करता है जिनके अधीन रहते हुए राज्य ऐसी वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने को विनियमित कर सकते हैं । संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन, बिक्री कर और राज्य आबकारी शुल्कों के लिए स्थापित क्षेत्रीय परिषदों के तंत्र का उपयोग भी किसी क्षेत्र के राज्यों के बीच बिक्री कर में अनुरूपता लाने के लिए पारस्परिक सहमति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है । राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय के फलस्वरूप तबाकू, वस्त्रों (रेशमी वस्त्रों को छोड़कर) पर बिक्री कर को, अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । बिक्री कर को हटाने और इसे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया गया परन्तु इस प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी । यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए धैर्य और सतत प्रयास की आवश्यकता होगी ।

केन्द्रीय सरकार की, उन राज्य सरकारों को, जो चुंगी लगाती हैं, इसे हटाने के संबंध में उपयुक्त कानून बनाने के लिए, अनुरोध करने के इरादे की घोषणा पिछले वर्ष के बजट भाषण में की गई थी । सभी संबंधित राज्य सरकारों से, चुंगी हटाने, और राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए लिखा गया था । संबंधित राज्य सरकारों से, चुंगी हटाने के लिए, उनका सहयोग प्राप्त करने के विचार से और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचार विमर्श किया गया । इन विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर योजना आयोग और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से और आगे कार्यवाही की जा रही है ।

Income-tax Raids on premises of a Delhi Businessman

2622 SHRI P. M SAYEED:
SHRI NIHAR LASKAR:
SHRI A. R BADRI-NARAYAN:
SHRI JYOTIRMOY BOSU:

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state

(a) whether large scale 'Hawala' transactions allegedly designed to utilise black money were discovered following income-tax raids on the premises of a Delhi businessman in January, 1979,

(b) if so, the details thereof;

(c) whether rupees 30 to 40 lacs were found through these operations; and

(d) if so, what action has been taken against those held responsible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) to (c) The Income-tax authorities searched the premises of M/s. Prahlad Rai Saraf and Co. and its associated concerns on the 21st and 22nd January 1979. During the course of the search operation, a large number of books of account and documents were seized. Preliminary scrutiny of the books of account revealed large scale 'Hawala' transactions which were used as a device to enable various parties to introduce their black money in the books of account.

Preliminary scrutiny of the seized books of account and documents has revealed bogus 'Hawala' transactions of over Rs. 30 lakhs.